पत्रांकः–09 / नि0–19–01 / 2023 सा0प्र0:–......7231...... /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रण, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उ च्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार, तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।

पटना–15, दिनांकः–.....24.4....... / 2025

विषयः– **वाहन चालक के पद को नियुक्ति की प्रक्रिया में दिव्यांगता आरक्षण से स्थायी रूप से विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–6403, दिनांक–09.04.2025 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–962, दिनांक–22.01.2021 के कंडिका–2(3) में निहित प्रावधानों के आलोक में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय तथा विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों में वाहन चालक के पद को नियुक्ति की प्रक्रिया में दिव्यांगता आरक्षण से स्थायी रूप से विमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

तत्संबंधी आदेश की प्रति संलग्न है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
अरुण
22.4.25
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–09 / नि0–19–01 / 2023, सा0प्र0–.....7231..... / पटना–15, दिनांक–.....24.4.....2025

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव, प्रशाखा–11, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.4.25
सरकार के उप सचिव।

(९५)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–: आदेश :–

ज्ञापांक–11/आ० नी०–I–04/2022 सा.प्र.........................पटना–15, दिनांक–...............................

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–2(3) में निहित प्रावधानों के आलोक में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय तथा विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों में वाहन चालक के पद को नियुक्ति की प्रक्रिया में दिव्यांगता आरक्षण से स्थायी रूप से विमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त आदेश निर्गत करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–2(3) के तहत गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

ह0/–

(रजनीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/आ० नी०–I–04/2022 सा.प्र.....6403.....पटना–15, दिनांक–.....9.4.25.....

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/निःशक्तता आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–09, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय तथा विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों में इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

07/04/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

SO-09
सुश्री मेहता
11/04/25
524/SO9
11.4.2025

FILE PATH-C/DIVYANG LETEER

17

आव[illegible]५१०९